न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस

.राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 78/2016 Gcms No. 2016/00105

दायरा तिथि : 05.10.2016

प्राथमिक डिक्री दिनांकः 14.06.2017 फाईनल डिक्री दिनांक 7-3-2022

वादी :–

कानसिंह पुत्र सुल्तानसिंहजी जाति राजपुत
निवासी बिरोलिया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अन्तर कंवर पत्नि लक्ष्मणसिंहजी
2. स्व. उदेसिंह पुत्र सुल्तानसिंहजी के कायम मुकामः–
   2/1 चैनसिंह पुत्र उदेसिंहजी
   2/2 मोहब्बतसिंह पुत्र उदेसिंहजी
   2/3 भँवर कुँवर पुत्री उदेसिंहजी
   2/4 पारस कुँवर पुत्री उदेसिंहजी
   2/5 जैसल कुँवर पत्नि उदेसिंहजी
   2/6 घीसू कँवर पत्नि स्व. देसिंहजी
3. भगवतसिंह पुत्र दलपतसिंहजी तमाम ही जाति राजपुत
   निवासीगण बिरोलिया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

उपस्थितिः–

1. श्री गणपतलाल चौधरी .... अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री भरत जे. राठौड .... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की ओर से
3. श्री दुदाराम चौधरी .... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 02 के कामु. की ओर से
4. श्री नरेन्द्र चौहान नायब तहसीलदार...................... पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 7-3-2022

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम बिरोलिया पटवार हल्का बेडल तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 51, 219, 220, 229, 235, 240 रकबा क्रमशः 1.27 हैक्टर, 0.05 हैक्टर, 0.10 हैक्टर, 0.54 हैक्टर, 2.35 हैक्टर, 2.00 हैक्टर कुल खसरा–06 कुल रकबा 6.3100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व व बारानी अव्वल कुल लगान 40.25 रूपये संबध में वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया। अपने वादपत्र में वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो के बीच 50–60 वर्ष पूर्व मौके पर भौतिक रूप से होने तथा उसी अनुसार मौके पर पक्षकार काबिज होने से मौके पर काबिज अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–01 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–02 के वारिशान का संयुक्त तौर पर 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या–03 का 1/4 हिस्सा निहित होने तथा इसी मुजब पुर्वजो के समय से किये गये बंटवाडा के अनुसार मौके पर काबिज वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित करते हुये विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की प्रति एवं नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 02 के कायम मुकाम की और से अधिवक्ता श्री दुदाराम चौधरी द्वारा ईकबालिया जवाबदावा पेश किया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के अधिवक्ता ने हिस्सा अनुसार बंटवाडा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण कायमी तनकीयात के लंबित रहते हुये राजस्व लोक अदालत अभियान, न्यायालय आपके द्वार, 2017 केम्प बेडल में दिनांक 14.06. 2017 को वादी एवं प्रतिवादीगण के मौके पर काबिज अनुसार विभाजन की डिक्री जारी किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। जिससे मजमा–ए–आम में न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2017 को राजस्व लोक अदालत में वादग्रस्त भूमि बिरोलिया के खसरा नंबर 51, 219, 220, 229, 235, 240 कुल खसरा–06 कुल रकबा 6.31 हैक्टर के सबंध में मौके पर काबिज अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करते हुये तहसीलदार, बाली को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2017/2646 दिनांक 01.02.2017 से विभाजन के प्रस्ताव न्यायालय में प्रस्तुत किया गये। उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के सबंध में वकील प्रतिवादी पक्ष द्वारा इस आशय की आपत्ति की गई कि विभाजन प्रस्ताव में सह खातेदारो के हिस्से बंट में प्रस्तावित की भूमि में आने जाने क लिये रास्ता ईत्यादि की सुविधाओ का ध्यान नहीं रखा गया है एवं न ही सडक की ओर सभी पक्षकारो को बराबर हिस्सा दिया गया है। वकील प्रतिवादी की आपत्ति पर वकुलाय को सुनने के पश्चात् न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.09.2020 से तहसीलदार, बाली से रास्ते की आपत्ति के सबंध में पुनः रिपोर्ट तलबी के आदेश पारित किये गये। जिसकी पालना में तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2021/ 1362 दिनांक 03.08.2021 से खसरा नंबर 235 में जाने के लिये रास्ता खसरा नंबर 235/4 में नजरी नक्शा में रास्ता वर्णित करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

पेज लगातार 02

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

//02//

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 78/2016 Gcms No. 2016/00105

अनवान कानसिंह बनाम अन्तरकंवर वगैरा

<u>अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उक्त रिपोर्ट के सबंध में दोनो पक्षो के वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर हैं कि विभाजन के पश्चात् प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि में आने जाने के लिये रास्ता ईत्यादि की सुविधा वर्तमान रिपोर्ट में रखी गई है। इसके साथ ही वर्तमान में प्राप्त रिपोर्ट से दोनो पक्षो के वकुलाय को भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम बिरोलिया पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 51, 219, 220, 229, 235, 240 रकबा क्रमशः 1.27 हैक्टर, 0.05 हैक्टर, 0.10 हैक्टर, 0.54 हैक्टर, 2.35 हैक्टर, 2.00 हैक्टर कुल खसरा–06 कुल रकबा 6.3100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व व बारानी अव्वल कुल लगान 40.25 रूपये संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 के तहत तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2017/ 2646 दिनांक 01.12.2017 से प्रेषित विभाजन रिपोर्ट एवं कार्यालय पत्रांक// भू0अ0/ 2021/ 1362 दिनांक 03.08.2021 से **प्रेषित रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शा के अनुसार** जो नजरी नक्शा खसरा नंबर 235 में जाने के लिये खसरा नंबर 235/4 से रास्ता वर्णित करते हुये प्रस्तुत किया गया है, के अनुसार निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

1. वादी कानसिंह पुत्र सुल्तानसिंह के हिस्से की भूमि:–

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
235/3	0.58 हैक्टर	बारानी अव्वल	4.06	गुलाबी
240/3	0.48 हैक्टर	बारानी अव्वल	3.36	
02	01.06	बारानी अव्वल	7.42	

2. प्रतिवादी सं0–01 अन्तर कंवर पत्नि लक्ष्मणसिंह के हिस्से की भूमि:–

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
235/1	0.58 हैक्टर	बारानी अव्वल	4.06	केसरिया
240	0.48 हैक्टर	बारानी अव्वल	3.36	
02	01.06	बारानी अव्वल	7.42	

3. प्रतिवादी संख्या–02 उदेसिंह पुत्र सुल्तानसिंह के कामु चेनसिंह गोहब्बतसिंह पि. उदेसिंह भंवरकंवर पुत्री उदेसिंह पारसकंवर पुत्री उदेसिंह जैसलकंवर पत्नि उदेसिंह घीसुकंवर पत्नि उदेसिंह कौम राजपुत निवासी बिरोलिया के हिस्से की भूमि:–

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
235	0.58 हैक्टर	बारानी अव्वल	4.06	हरा
240/1	0.48 हैक्टर	बारानी अव्वल	3.36	
02	01.06	बारानी अव्वल	7.42	

4. प्रतिवादीसं.–03 भगवतसिंह पुत्र दलपतसिंह कौम राजपुत निवासी बिरोलिया के हिस्से की भूमि:–

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
235/2	0.58 हैक्टर	बारानी अव्वल	4.06	भूरा
240/2	0.48 हैक्टर	बारानी अव्वल	3.36	
02	01.06	बारानी अव्वल	7.42	

5. वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के संयुक्त हिस्से की भूमि:–

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
51	1.27 हैक्टर	बारानी दोयम	6.35	पीला
219	0.05 हैक्टर	बारानी दोयम	0.25	
220	0.10 हैक्टर	बारानी दोयम	0.50	
229	0.54 हैक्टर	बारानी दोयम	[illegible]	
235/4	0.03 हैक्टर	बा.अ. (रास्ता प्रयोजन)	[illegible]	
240/4	0.08 हैक्टर	बा.अ. (रास्ता प्रयोजन)	[illegible]	
06	2.07	बा.दो. व बा.अ.	10.57रूपये	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत दोनो रिपोर्ट एवं खसरा नंबर 235 के सबंध में दिनांक 01.12.2017 को प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा को एवं खसरा नंबर 240 के संबंध में पत्रांक/ भू0अ0/ 2021/ 1362 दिनांक 03.08.2021 के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडाल को लिखा जावे। कुल लगान राशि 40.25 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक के तौर पर नो.ज्यू. स्टाम्प प्रस्तुत होने पर फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 7-3-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.**

वादी :–
कानसिंह पुत्र सुल्तानसिंहजी जाति राजपुत
निवासी बिरोलिया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अन्तर कंवर पत्नि लक्ष्मणसिंहजी
2. स्व. उदेसिंह पुत्र सुल्तानसिंहजी के कायम मुकामः–
   2/1 चैनसिंह पुत्र उदेसिंहजी
   2/2 मोहब्बतसिंह पुत्र उदेसिंहजी
   2/3 भँवर कुँवर पुत्री उदेसिंहजी
   2/4 पारस कुँवर पुत्री उदेसिंहजी
   2/5 जैसल कुँवर पत्नि उदेसिंहजी
   2/6 घीसू कँवर पत्नि स्व. देसिंहजी
3. भगवतसिंह पुत्र दलपतसिंहजी तमाम ही जाति राजपुत
   निवासीगण बिरोलिया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 78/2016 Gcms No. 2016/00105
वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर हैं कि विभाजन के पश्चात् प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि में आने जाने के लिये रास्ता ईत्यादि की सुविधा वर्तमान रिपोर्ट में रखी गई है। इसके साथ ही वर्तमान में प्राप्त रिपोर्ट से दोनो पक्षो के वकुलाय को भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम बिरोलिया पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 51, 219, 220, 229, 235, 240 रकबा क्रमशः 1.27 हैक्टर, 0.05 हैक्टर, 0.10 हैक्टर, 0.54 हैक्टर, 2.35 हैक्टर, 2.00 हैक्टर कुल खसरा–06 कुल रकबा 6.3100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व व बारानी अव्वल कुल लगान 40.25 रूपये संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 के तहत तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/ 2017/ 2646 दिनांक 01.12.2017 से प्रेषित विभाजन रिपोर्ट एवं कार्यालय पत्रांक// भू0अ0/ 2021/ 1362 दिनांक 03.08.2021 से **प्रेषित रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शा के अनुसार** जो नजरी नक्शा खसरा नंबर 235 में जाने के लिये खसरा नंबर 235/4 से रास्ता वर्णित करते हुये प्रस्तुत किया गया है, के अनुसार निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः–

1. वादी कानसिंह पुत्र सुल्तानसिंह के हिस्से की भूमिः–

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
235/3 240/3	0.58 हैक्टर 0.48 हैक्टर	बारानी अव्वल बारानी अव्वल	4.06 3.36	गुलाबी
02	01.06	बारानी अव्वल	7.42	

2. प्रतिवाादी सं0–01 अन्तर कंवर पत्नि लक्ष्मणसिंह के हिस्से की भूमिः–

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
235/1 240	0.58 हैक्टर 0.48 हैक्टर	बारानी अव्वल बारानी अव्वल	4.06 3.36	केसरिया
02	01.06	बारानी अव्वल	7.42	

3. प्रतिवाादी संख्या–02 उदेसिंह पुत्र सुल्तानसिंह के कामु चेनसिंह मोहब्बतसिंह पि. उदेसिंह भंवरकंवर पुत्री उदेसिंह पारसकंवर पुत्री उदेसिंह जैसलकंवर पत्नि उदेसिंह घीसुकंवर पत्नि उदेसिंह कौम राजपुत निवासी बिरोलिया के हिस्से की भूमिः–

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
235 240/1	0.58 हैक्टर 0.48 हैक्टर	बारानी अव्वल बारानी अव्वल	4.06 3.36	हरा
02	01.06	बारानी अव्वल	7.42	

4. प्रतिवादीसं.–03 भगवतसिंह पुत्र दलपतसिंह कौम राजपुत निवासी बिरोलिया के हिस्से की भूमिः–

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
235/2 240/2	0.58 हैक्टर 0.48 हैक्टर	बारानी अव्वल बारानी अव्वल	4.06 3.36	भूरा
02	01.06	बारानी अव्वल	7.42	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार...02

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 78/2016 Gcms No. 2016/00105
अनवान कानसिंह बनाम अन्तरकंवर वगैरा
<u>अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

5. वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के संयुक्त हिस्से की भूमिः–

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
51	1.27 हैक्टर	बारानी दोयम	6.35	पीला
219	0.05 हैक्टर	बारानी दोयम	0.25	
220	0.10 हैक्टर	बारानी दोयम	0.50	
229	0.54 हैक्टर	बारानी दोयम	2.30	
235/4	0.03 हैक्टर	बा.अ. (रास्ता प्रयोजन)	0.75	
240/4	0.08 हैक्टर	बा.अ. (रास्ता प्रयोजन)	0.56	
06	2.07	बा.दो. व बा.अ.	10.57रूपये	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत दोनो रिपोर्ट एवं खसरा नंबर 235 के सबंध में दिनांक 01.12.2017 को प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा को एवं खसरा नंबर 240 के संबध में पत्रांक/ भू0अ0/ 2021/ 1362 दिनांक 03.08.2021 के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडाल को लिखा जावे। कुल लगान राशि 40.25 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक के तौर पर नो.ज्यू. स्टाम्प प्रस्तुत होने पर फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। इसी कदर डिक्री पर्चा मूर्तिब किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 7-3-2022 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना,)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, (बाली.)

Scanned with CamScanner